अध्याय - IV

विगत कार्य - निष्पादन की समीक्षा

अध्याय - 4

विगत कार्य - निष्पादन की समीक्षा

4.1 योजना आयोग द्वारा यथा - मूल्यांकित क्षेत्र-वार कोयले की मांग

वर्षों से क्षेत्र-वार के साथ-साथ कोयले की समग्र मांग में निरन्तर वृद्धि हुई है। विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र से मांग (2008-09) में 397.43 मिलियन टन (मिडलिंग सहित) से पर्याप्त रूप से बढ़कर 11वीं योजना के अन्तिम वर्ष 2011-12 में 403.91 मिलियन टन (अनंतिम) हो गई है। वर्ष 2012-13 (ब.अ.) के लिए मांग 555.00 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2008-09 से 2012-13 (ब.अ.) के दौरान क्षेत्र-वार कोयले की कुल मांग वास्तविक आपूर्ति निम्नवत है:-

तालिका सं.4.1

कोयले की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति

(मिलियन टन में)

	क्षेत्र		**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
			वास्तविक	**वास्तविक**	**वास्तविक**	**वास्तविक ***	**ब.अ.**	**ब.अ.**
I.	कोकिंग कोयला							
1	इस्पात / कोक ओवन एवं कोकरीज		16.58	16.45	15.90	16.05	22.30	23.98
2	इस्पात (आयात)		21.08	24.69	28.00	30.04	30.00	30.00
	उप-जोड़ कोकिंग		**37.66**	**41.14**	**43.90**	**46.08**	**52.30**	**53.98**
II.	नान-कोकिंग कोयला							
3	विद्युत (यूटिलिटीस)	एमआईडी	362.08	378.25	389.56	367.00	512.00	535.00
		एमआईडी	(1.23)	(0.73)				
4	विद्युत (केप्टिव)	आरसी	32.74	37.68	40.83	36.91	43.00	46.14
		एमआईडी	(1.38)	(1.48)				
5	सीमेंट		20.09	21.40	25.20	13.40	30.24	30.00
6	स्पांज आयरन/सीडीआई		19.78	23.10	23.07	21.28	35.30	35.00

7	बीआरके एवं अन्य/फर्ट/निर्यात/ एसएसएफ/ एनएलडब्ल्यू कोक/लोको/कोलि. सीओएन	आरसी	76.68	86.24	93.57	81.10	100.00	69.57
		एमआईडी						
	उप जोड़	आरसी	**511.37**	**546.67**	**572.23**	**588.58**	**720.54**	**715.71**
		एमआईडी	**(2.61)**	**(2.21)**				
	कुल कच्चा कोयला		**549.02**	**587.81**	**616.13**	**634.66**	**772.84**	**769.69**
	मिडलिंग		**(2.61)**	**(2.21)**				

***स्रोतः अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2011-12, सीसीओ**

4.2. कोयला उत्पादन :

कोल इंडिया लि. तथा एससीसीएल में कोयला उत्पादन निम्नवत है :-

तालिका सं.4.2
कोल इंडिया लि. तथा एससीसीएल में कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

कंपनी	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 अनुमानित अंन.	2012-13 ब.अ.	2012-13 दिस., 2012 (अंनतिम)	2013-14 ब.अ.
सीआईएल	403.73	431.26	431.32	435.83	464.10	308.89	482.00
एससीसीएल	44.54	50.43	51.33	52.21	53.10	37.18	54.30
अन्य	44.49	50.35	50.04	51.90	57.80	38.12	68. 25
जोड़	492.76	532..04	532.69	539.94	575.00	384.19	604.55

***स्रोतः सीसीओ**

निवेश के सतत कार्यक्रम और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर अधिक जोर देकर 70 के दशक के प्रारंभ में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय में लगभग 96 मिलियन टन के स्तर से 2011-12 तक 539.94 मिलियन टन (अखिल भारतीय) तक कोयले के उत्पादन को बढ़ाना संभव हुआ है। 12वीं योजना के लिए कार्यदल के गठन के दौरान मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2012-13 में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य का स्तर 575.00 मि.टन होगा। कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से नयी कोयला खनन परियोजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यकलापों को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। सीआईएल ने अपनी खानों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं को नियुक्त करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आरंभ की है।

4.3 वर्ष 2008-09 से 2011-12 तथा दिसम्बर, 2012 तक के वास्तविक आंकड़ों के साथ बजट अनुमान 2013-14 के लिए एनएलसी का उत्पादन कार्यक्रम निम्नवत है :-

तालिका सं.4.3
एनएलसी में लिग्नाइट तथा विद्युत कोयला उत्पादन

मद	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक अनं.	2012-13 सं.अ.	वास्तविक दिस., 2012 तक	2013-14 ब.अ.
लिग्नाइट (मि.ट.)	21.31	22.34	23.14	24.59	24.45	18.51	25.20
विद्युत (एमयू)	15768	17656	17881.09	18789.44	17619.00	14323.89	18929.00

4.4. योजना स्कीमों की समीक्षा

4.4.1 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) योजना तथा कोल इंडिया लि. ने अपनी आर एंड डी बोर्ड की सहायता के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता तथा कोयला खानों में सुरक्षा, कोयला परिष्करण और उपयोग तथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा में सुधार के लिए आर एंड डी कार्यकलाप आरंभ किए हैं। कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में उपर्युक्त विषयों पर अनुसंधान कार्य करने के लिए कोयला मंत्रालय और सीआईएल द्वारा वार्षिक रूप से पर्याप्त निधियां निर्धारित की जा रही हैं। सचिव (कोयला) की

अध्यक्षता में स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) बजटीय सहायता से कोयला संबंधी अनुसंधान कार्यकलापों को प्रशासित करने के लिए एक शीर्ष निकाय है और कोल इंडिया का अनुसंधान अनुदान सीआईएल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सीआईएल आर एंड डी बोर्ड के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) कोयला एस एंड टी तथा सीआईएल आर एंड डी परियोजनाओं के समन्वय तथा मानीटरिंग के लिए नोडल एजेंसी है। इन परियोजनाओं को कोयला और लिग्नाइट खनन कंपनियों की सक्रिय भागीदारी के साथ कोयला और सम्बद्ध उद्योगों से संबंधित विभिन्न अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, नोडल एजेंसी होने के कारण सीएमपीडीआई द्वारा कई अनुसंधान परियोजनाएं भी कार्यान्वित की गयी हैं/कार्यान्वित की जा रही हैं।

11वीं तथा 12वीं योजनावधि (31.12.2012 तक) के दौरान कोयला एस एंड टी अनुदान के अंतर्गत कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित कोयला एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत है :-

तालिका सं.4.4

कोयला एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति

एलएएन	XI वीं योजना					XIIवीं योजना	
योजना	07- 08	08-09	09 -10	10-11	11-12	12-13	13-14 (अनुमानित)
वर्ष	36	34	28	23	16	14	14
पिछले वर्ष की शेष परियोजनाएं	09	05	07	02	06	04	05
वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	45	39	35	25	22	18	19
वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाएं	10	10	10	08	07	03 (31.12.12 तक) + 01* (प्रत्याशित)	03
वर्ष के दौरान पूरी की गयी परियोजनाएं	01	01	02	01	01	-	-
वर्ष के दौरान समाप्त/मोचन-निषेध की गयी परियोजनाएं	-	-	-	-	-	14	-

* 1 परियोजना के मार्च, 2013 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

4.4.2 कोयला एवं लिग्नाइट में प्रोन्नत (क्षेत्रीय) अन्वेषण

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), खनिज अन्वेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल.) तथा सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने कोयला एवं लिग्नाइट के प्रोन्नत अन्वेषण की कोयला मंत्रालय की योजनागत स्कीम के अधीन 12वीं योजना में भी प्रोन्नत अन्वेषण को जारी रखा है। वर्ष 2011-12 में कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्रों में की गई प्रोन्नत ड्रिलिंग तथा 2012-13 और 2013-14 हेतु कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका सं.4.5

कोयला तथा लिग्नाइट में प्रोन्नत अन्वेषण की स्थिति

(ड्रिलिंग मीटर में)

कमान क्षेत्र	**2011-12 वास्तविक**	**2012-13 ब.अ.**	**2012-13 प्रस्तावित सं.अ.***	**2013-14 प्रस्तावित ब.अ.***
वास्तविक				
1. सीआईएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग	34930	45000	31000	73500
2. एससीसीएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग	9228	13000	7000	15500
3. लिग्नाइट क्षेत्र में ड्रिलिंग	49564	53000	53000	64000
योग	**93721**	**111000**	**91000**	**153000**

* लक्ष्य की उपलब्धि वन क्षेत्रों में ड्रिलिंग शुरू करने, स्थानीय सहायता एवं पता लगाए गए ब्लाकों में लिग्नाइट प्राप्त करते समय वन संबंधी अनुमोदनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निधियों की आवश्यकता के उच्चतर अनुमान को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तथापि, उपलब्ध करायी गई वास्तविक निधियां पर्याप्त नहीं हैं तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीएमपीडीआईएल को सीआईएल से ऋण को पाटने की आवश्यकता होगी।

टिप्पणी:-

1) अप्रैल से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान कुल 77,152 मीटर की प्रोन्नत ड्रिलिंग की गई है। इसमें से 26,992 मीटर की ड्रिलिंग सीआईएल के कमाण्ड क्षेत्र में, 6,04 मीटर एससीसीएल के कमाण्ड क्षेत्र में और 44.115 मीटर की ड्रिलिंग लिग्नाइट क्षेत्रों में की गई है। इस अवधि के दौरान कोयला (7) तथा लिग्नाइट (4) अन्वेषण पर कुल 11 भू-वैज्ञानिक रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं।

2) आईसीआरआईएस परियोजना के अंतर्गत भू-वैज्ञानिक माडलों के सृजन हेतु डाटा प्रोसेसिंग चल रहा है और अप्रैल से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान 13 जोनों के माडल तैयार किए गए हैं। नए डाटा के साथ डाटाबेस को अद्यतन करना एवं पहले से एकत्रित डाटा का अद्यतन प्रक्रियाधीन है।

3) आईएलआरआईएस परियोजना (एनएलसी) के अंतर्गत 147 ब्लॉकों के भंडारों का यूएनएफसी वर्गीकरण कर लिया गया है। 65 ब्लॉकों की मुख्य

विशेषताएं पूरी कर ली गई हैं तथा अप्रैल से दिस.,2012 की अवधि के दौरान 10 भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट अपलोड की गई हैं।

4) अप्रैल से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) अध्ययनों के लिए सीएमपीडीआई तथा जीएसआई ने क्रमशः 4 और 1 बोरहोलों से नमूने एकत्र किए हैं। एकत्रित किए गए नमूनों के विश्लेषण का कार्य चल रहा था।

4.4.3 गैर - सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण

सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में कार्यक्रम के अनुसार विस्तृत अन्वेषण का कार्य सीएमपीडीआई द्वारा जारी है। कोयला मंत्रालय की गैर-सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना स्कीम के अंतर्गत गैर - सीआईएल / केप्टिव खनन ब्लाकों में अन्वेषण ड्रिलिंग शुरू की गई है।

2011-12 में गैर - सीआईएल / केप्टिव खनन ब्लाकों में वास्तविक ड्रिलिंग के ब्यौरे तथा 2012-13 और 2013-14 का कार्यक्रम नीचे दिया गया है :-

तालिका 4.6

गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण की स्थिति

(ड्रिलिंग मीटर में)

अभिकरण	2011-12 वास्तविक	2012-13 ब.अ.	2012-13 प्रस्तावित सं.अ.*	2013-14 प्रस्तावित ब.अ.*
वास्तविक				
1) सीएमपीडीआई विभागीय	55230	52900	70500	75000
2) सीएमपीडीआई तथा एमईसीएल द्वारा आउटसोर्सिंग	166648	122000	209000	375000
कुल	**221878**	**174900**	**279500**	**450000**

* लक्ष्य की उपलब्धि वन क्षेत्रों में ड्रिलिंग करने के लिए वन अनुमोदन की समय पर उपलब्धता, स्थानीय सहायता एवं भावी निविदा में अन्वेषण के लिए उपयुक्त अभिकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन लक्ष्यों के लिए निधियों की अनुमानित आवश्यकता अधिक थी। तथापि, उपलब्ध वास्तविक निधियां आवश्यकता के लिए काफी नहीं है और सीएमपीडीआईएल को इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऋण को पाटने की आवश्यकता होगी।

नोटः- अप्रैल से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान गैर-सीआईएल ब्लाकों में कुल 1,51,346 मीटर की विस्तृत ड्रिलिंग की गई है। इसमें से 49.520 मीटर की ड्रिलिंग विभागीय संसाधनों के

माध्यम से की गयी है और 1,01,826 मीटर की ड्रिलिंग आउटसोर्स के माध्यम से की गई है। इस अवधि के दौरान एक ब्लॉक की जीआर प्रस्तुत की गई है।

4.4.4 पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण

इस योजना का उद्देश्य आग तथा धंसाव की समस्याओं का समाधान निकाल कर झरिया और रानीगंज के पुराने खनित क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिस्थितियों का सुधार करना है।

11वीं योजना अवधि के दौरान पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण में बल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्रों में पुरानी, परित्यक्त, जलमग्न खानों में धंसाव पर नियंत्रण।

(ख) झरिया कोयला क्षेत्रों में खान की आग तथा धंसाव पर नियंत्रण।

(ग) रानीगंज, झरिया, बोकारो, करनपुरा आदि जैसे अधिक पुराने कोलफील्डों में उत्खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार।

(घ) झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में अस्थिर और आग प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास।

4.4.5 झरिया तथा रानीगंज के लिए धंसाव तथा आग नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यक्रम

झरिया और रानीगंज कोलफील्डों में आग से निपटने और और धंसाव नियंत्रण के मास्टर प्लान के अधीन पुनर्वासित किए जाने वाले परिवारों हेतु जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अनुसार रिहायशी एककों के कारपेट क्षेत्र को भी सरकार ने संशोधित कर दिया है। झरिया और रानीगंज कोलफील्डों के मास्टर प्लान का कार्यान्वयन की निगरानी इस मंत्रालय के सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति द्वारा की जा रही है। अब तक समिति की सात बैठकें हो चुकी हैं। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन के लिए जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण का 50% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। बीसीसीएल क्षेत्र में 2352 मकानों का निर्माण हो गया है जिनमें 31.12.2012 तक 1151 परिवार स्थानान्तरित हो गए हैं। बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने के लिए 344 मकानों का निर्माण हो गया है और अन्य 1152 तिमंजिले क्वार्टरों का निर्माण विभिन्न गैर-कोयलाधारी जोनों में निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, ईसीएल के अधीन रानीगंज कोलफील्ड में पता लगाए गए 141 अस्थिर स्थानों में से 106 स्थानों का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

4.4.6 सीसीडीए के अंतर्गत कोयला खानों में संरक्षण तथा सुरक्षा और परिवहन अवसंरचना का विकास

मुख्यतः कोयला खनिकों/खान के सुरक्षा पहलुओं से सम्बद्ध कोयले के संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा अवसंरचनात्मक विकास के जरिए अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को कोयले के सुव्यवस्थित संचलन को सुकर बनाने के लिए कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत कोयला कंपनियों द्वारा किए गए खर्चों की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति की जा रही है। उक्त अधिनियम केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह भारत की सभी कोलियरियों से (वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया) सभी उत्पादित तथा प्रेषित कोयले पर उत्पाद शुल्क संग्रह कर सकती है और कोयला खानों में सुरक्षा अथवा कोयले के संरक्षण, कोयले के संरक्षण से सम्बद्ध अनुसंधान कार्य के निपटान अथवा कोयला खानों के विकास और कोयले के संरक्षण से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन अथवा कोयला खानों अथवा परिवहन के विकास, कोयले के संवितरण अथवा उपयोग के लिए रेत भराई तथा अन्य प्रचालनों को करने के लिए मालिकों, एजेंटों अथवा प्रबंधकों को पूर्ववर्ती वर्ष अथवा वर्षों के दौरान संग्रह की गयी राशि को, जो निवल लाभ से अधिक न हो, प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान वितरित कर सकती है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कोयले पर उत्पाद शुल्क का संग्रह करना है जिसे अवसंरचनात्मक विकास सहित संरक्षण तथा विकास संबंधी कार्यों के लिए कोयला खानों को पूर्णतः वितरित किया जाएगा।

प्रतिपूर्ति की जांच और संवीक्षा कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियमावली, 1975 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत रूप से गठित" कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति "(सीसीडीए समिति) द्वारा की जाती है। सरकार इन राशियों की प्रतिपूर्ति आंशिक रूप से (शेष कोयला कम्पनियों द्वारा वहन किया जा रहा है) कोयला कम्पनियों को, विगत वित्त वर्ष के दौरान पहले से विद्यमान देयता को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधान के माध्यम से करती है। सीसीडीए उप समिति द्वारा आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है उसके बाद सीसीडीए समिति द्वारा आकलन किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम का विकास

4.4.7 इस विषय पर संगत निर्देशों के अनुसार योजनागत परिव्यय का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम के विकास के लिए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि यह राशि व्यय नहीं हो पाती है तो उसे केन्द्र सरकार के गैर-व्यपगत पूल में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

4.4.8 जनजातीय उप-योजना के लिए प्रावधान

इस विषय पर संगत निर्देशों के अनुसार योजनागत परिव्यय का 8.20% जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि यह राशि व्यय नहीं हो पाती है तो उसे केन्द्र सरकार के गैर-व्यपगत पूल में अन्तरित कर दिया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अपने आन्तरिक एवं बाह्य बजट संसाधनों (आईईबीआर) से कार्यान्वित की गई परियोजनाएं

4.4.9 कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इन परियोजनाओं को अपने आन्तरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) का प्रयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाता है और सरकार उन्हें कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं करती है। 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की कम्पनी-वार तथा परियोजना-वार स्थिति तथा ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध(अध्याय-4 के बिन्दु सं0 4.4.9 में उल्लिखित)

31.01.2013 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में 100 करोड़ रूपये तथा उससे अधिक की लागत वाली चल रही परियोजनाओं की स्थिति

विषय	क्र. सं.	परियोजना	प्रकार	क्षमता (मि.ट. प्रति वर्ष)	पूंजी (करोड़ रू.)	स्वीकृति की तारीख	पूर्ण होने की निर्धारित तारीख	पूर्ण होने की अनुमानित तारीख	ग्रेड	लिंकेज	उत्पादन			टिप्पणी
											वास्तविक 2010-11	वास्तविक 2011-12	ब.अ. 2012-13	
ईसीएल	1	नरायनकुरी	यूजी	0.54	149.06	06,फर-09	मार्च 15	मार्च 17	सी	बास्केट	0.00	0.00	0.00	**ईसी-** ईआईए/ईएमपी सीपीएमडी द्वारा तैयार किया जा रहा है। **अन्य-** साफ्ट सिंकिंग कार्यकलाप के कारण विलम्ब हो जाने की संभावना है। कार्य के विस्तार में प्रस्तावित साफ्ट सिंकिंग भावी बोलीदाताओं के लिए एनआईटी के मामले हेतु पूर्व-बोली बैठक में साफ्ट की मैन्युअल सिंकिंग के लिए प्राक्कलन सीएमपीडीआई के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।
ईसीएल	2	झांझरा द्वितीय सीएम (यूसीई)	यूजी	0.51	147.20	13 मई,11	मार्च 15	मार्च 15	बी/ सी/ डी	बास्केट	0.00	0.00	0.00	229.20 है. भूमि के अधिग्रहण के लिए सीबीए अधिनियम के अंतर्गत 28.08.09 को आवेदन किया गया। धारा 9(1) के अधीन अधिसूचना के लिए जनवरी, 12 में आबंटित। **ईसीः** क्लस्टर 12 में शामिल किया गया/ ईआईए/ ईएमपी को सीएमपीडीआई द्वारा लिया जा रहा है। सीएम के लिए ठेका समझौते पर सै.बुसीरस डीबीटी जीएमबीएच के साथ 14.06.2012 को हस्ताक्षर किये गए।
ईसीएल	3	सर्पी (आर सीई) आग.	यूजी	0.76	147.86	10 जून-08	मार्च 11	मार्च 13	**बी**	**विद्युत, सीमेंट, ईट**	0.37	0.60	0.60	**भूमि अधिग्रहणः** 91.90 हे. भूमि के अधिग्रहण के लिए एलए अधिनियम के अंतर्गत नया आवेदन जन, 09 में पुनः प्रस्तुत किया गया। एल.ए. कलैक्टर, वर्धमान की सलाह के अनुसार नया प्रस्ताव 22.06.10 को पुनः प्रस्तुत किया गया।
ईसीएल	4	झांजरा पीएसएल-डब्ल्यू (आर-vi)	यूजी	1.70	287.17	03 नव-06	मार्च 10	मार्च 15	**बी**	**एनटीपीसी**	0.00	0.00	0.00	ईसी-पीएच की प्रतीक्षित है। 229.20 हे. भूमि के अधिग्रहण के लिए सीबीए अधिनियम के अंतर्गत 28.08.09 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना के लिए जनवरी, 12 को आबंटित किया गया। **अन्य कारण-** मै. सीओडीसीओ द्वारा करार पर हस्ताक्षर किये जाने के विलम्ब के कारण परियोजना में विलम्ब हो गया।
ईसीएल	5	राजमहल विस्तार (17)	ओ सी	6.50	153.82	22 सित-09	मार्च 14	मार्च 14	**एफ**	**फरक्का एवं कहल गांव**	2.35	2.73	2.60	पी.ए.एफ के पुनर्वास के लिए एलए अधिनियम के अन्तर्गत 24.02.05 को अधिसूचित रानीडीह में 114.79 एकड़ (46.45 हे.) भूमि। 60 लाख रूपये की राशि का 80% तदर्थ भुगतान उप आयुक्त गोड्डा के

														पास 01.08.05 को जमा करा दी गई थी। तब से विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। 118/एलए दिनांक 10.03.12 के माध्यम से अब यह सूचित किया गया है कि भूमि अधिग्रहण का कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा नहीं किया जा सका, अंतः प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। नए आवेदन के लिए कार्रवाई की जा रही है।
ईसीएल	6	कोटाडीह सीएम (पीआर फेस-I)	यूजी	0.60	127.17	13 मई,11	मार्च,16	मार्च,16	ए/बी/डी	बास्केट	0.00	0.00	0.00	आर-वी सीम को शामिल करने तथा आर-VI सीम को ऊंचा करने एवं चौड़ा करने के मद्देनजर निरंतर कटिंग मशीन के लिए विश्वस्तरीय निविदा को रद्द कर दिया गया। ईसी- 1986 में प्राप्त हुई। तथापि, I एमटीवाई की क्षमता के लिए क्लस्टर सं. 12 के अंतर्गत 02.12.11 को प्राप्त टीओआर में संशोधन किया गया। आरआई, सीएमपीडीआईएल द्वारा आंकड़े तैयार करने एवं ईआईए/ईएमपी के लिए कार्रवाई की जा रही है।
ईसीएल	7	चित्रा ईस्ट (2.50 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओ सी	2.50	112.69	31 अग-07	मार्च 11	मार्च 16	डी	एनटीपीसी	1.40	1.50	1.50	एफआरए के अंतर्गत एनओसी के कारण 109 हे. वन भूमि राज्य स्तर पर चरण-I की मंजूरी के लिए लंबित है। वनरोपण के लिए अभिज्ञात भूमि के स्थानांतरण के संबंध में दस्तावेज के प्रेषण के लिए अन्य 124.28 हे. वन भूमि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, नई दिल्ली में स्तर-II की मंजूरी के लिए लंबित है। जे.बी.भूमि 31.60 करोड़ रूपये जमा किये गए। जीओजे ने उक्त अधिग्रहण के लिए करार पर हस्ताक्षर करने की मांग की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे करार पर हस्ताक्षर नहीं करने पर जोर देते हुए 17.04.12 को एक आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया। गोचर भूमिः सीओ पालाजोरी और सारत के पास लंबित पड़े 27.83 हे. के प्रस्ताव के लिए 27.06.11 को आवेदन दिया। सरकारी भूमिः सीओ पालाजोरी और भारत के पास लंबित पड़े 61.78 हे. के प्रस्ताव के लिए आवेदन 27.06.11 को प्रस्तुत किया गया।
ईसीएल	8	सोनेपुर बाजारी कोम्ब.	ओ सी	8.00	1055.05	7 अग-12	मार्च 17	मार्च 17	सी	बास्केट	1.35	0.00	1.50	डीएफओ दुर्गापुर को एफसी के लिए 18.07.2012 को आवेदन दिया गया।
बीसीसीएल	9	कपूरिया ब्लॉक	यूजी	2.00	988.35	12 अग.-11	मार्च - 17	मार्च - 17	कोक. डब्ल्यू-II	इन्ट वाशरी	0.00	0.00	0.00	प्रारूप ईएमपी तैयार की जा रही है।
बीसीसीएल	10	मूनीडीह XIV सीम	यूजी	1.50	1230.27	12 अग. - 11	मार्च - 18	मार्च - 18	कोक. डब्ल्यू-II	इन्ट वाशरी	0.00	0.00	0.00	ईएसी की बैठक 17.07.2012 को हुई थी और ईएसी द्वारा ईसी के लिए सहमति व्यक्त की गई।
बीसीसीएल	11	मूराईडीह-सीएम एसएम-	यूजी	2.00	339.88	14 फर.-11			एनएल डब्ल्यू	वाशरी एंड पॉवर प्लांट	0.00	0.00	0.00	एफ.सी- 29.75 हे. एफआरए के लिए राज्य स्तर-I की मंजूरी के लिए प्रतीक्षारत है।

		111/11/1												
बीसीसीएल	12	ब्लॉक-II यूजी सीएम(I/II एसएम)	यूजी	0.45	113.37	22 दिस.-09	मार्च - 14	मार्च - 14	डी	विद्युत क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	ईएसी की बैठक 17.7.2012 को हुई थी तथा ईएसी द्वारा ईसी के लिए सहमति व्यक्त की गई।
सीसीएल	13	पुर्नाडीह	ओसी	3.00	210.98	13 जु.-08	मार्च - 13	मार्च - 13	एफ	पॉवर (केप्टिव)	0.64	1.56	1.60	एफआरए के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए 296.48 हे. की स्तर की अनुमति के लिए राज्य के लिए लंबित है। 50 हे. भूमि ग्राम कुल्की (जामडीह टोला) से ली जाएगी। इसका पार्ट भुगतान किया गया। शेष भूमि का मुआवजा अनुमोदन से कियागया। ग्रामीणों की मांग के अनुसार ब्याज के भाग पर सहमति नहीं हुई है। 117 व्यक्तियों के रोजगार प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना है, जिसके लिए वंश विषयक चार्ट प्रतीक्षित है। यह अभी भेजा जाना है।
सीसीएल	14	राजरप्पा (आरसीई)	ओसी	3.00	510.85	23 दिस.-09	मार्च - 16	मार्च - 16	डब्ल्यूजी -II	राजरप्पा वाशरी	1.10	1.13	1.70	एफआरए के अंतर्गत एनओसी के लिए राज्य के पास लंबित है।
सीसीएल	15	पारेज ईस्ट	यूजी	0.51	128.89	27 मई-08	मार्च - 12		डब्ल्यू /1- डब्ल्यू /11	बास्केट	0.00	0.00	0.00	86.09 का मामला स्तर-I की मंजूरी के लिए राज्य के पास लंबित पड़ा है, 43.52 हे. स्तर-I की मंजूरी के लिए राज्य स्तर पर लंबित है। ईसी- पीएच 16.02.12 को हुई थी। अंतिम ईएमपी तैयार की जा रही है।
सीसीएल	16	मगध विस्तार	ओसी	20.00	706.40	23 अग.-08	मार्च - 13	मार्च - 16	एफ	एनकेएसटी पीपी	0.00	0.00	0.00	ग्रामीणों द्वारा मुआवजे के लिए की गई मांग, जो मानदंडो से अधिक है तथा खाली कराने की सुविधा का भी अभाव है, के अनुसार अर्जित भूमि के कब्जा लेने में विलम्ब के कारण परियोजना के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा है।
सीसीएल	17	अशोक विस्तार (10 एमटीवाई)	ओसी	10.00	341.63	31 दिस.-07	मार्च - 11	मार्च -13	एफ	बास्केट	8.03	7.72	8.70	वानिकी मंजूरी तथा रेलवे साइडिंग को चालू करने में विलम्ब के कारण विलम्ब होने की संभावना है।
सीसीएल	18	तापिन	ओसी	2.50	264.68	23 अग.-08	मार्च - 12	मार्च - 14	डब्ल्यू - 111	बास्केट	0.55	0.61	1.30	स्थल को औपचारिक रूप से सौंपे जाने के लिए 213.52 हे. लंबित है। नोडल अधिकारी झारखंड द्वारा स्थल को सौंपने का पत्र आरआरसीएफ-हजारीबग, सीएफ वोकोरो तथा डीएफओ, रामगढ़ को जारी किया गया। को
सीसीएल	19	रोहिणी विस्तार (ईपीआर)	ओसी	2.00	105.67	29 सित.-08	मार्च - 11	मार्च - 12	ई	विद्युत (कैप्टिव)	0.82	0.70	0.80	74.81 हे. का मामला स्तर-I की मंजूरी के लिए लंबित है। ग्राम सभा ने पूर्ण किया। एफआरए जारी किया। स्तर-I की मंजूरी शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।
सीसीएल	20	नार्थ उरीमरी	ओसी	3.00	179.87	31 दिस.-07	मार्च - 12	मार्च - 14	सी	बास्केट	0.32	0.34	0.60	रेलवे साइडिंग के सरेखण को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके प्रारम्भिक सर्वेक्षण के लिए कार्य अवार्ड किया जा रहा है। पीसीसीएफ द्वारा स्थल को

														सौंपने का प्रस्ताव 01.08.12 को सचिव (वन), जीओ को अग्रसरित किया गया है।
सीसीएल	21	चुरी-बेन्ती सीएम	यूजी	0.81	165.51	31 अग.-07	मार्च - 11	मार्च - 14	बी (एल एफ)	बास्केट	0.08	0.06	0.09	312.75 हे. के लिए स्तर-II की अनुमति दिनांक 12.10.10 के पत्र के तहत प्राप्त हो गई है। 65.84 हे. की रिलीज के लिए आवेदन 16.09.10 को प्रस्तुत किया गया। स्थल को सौंपे जाने की स्वीकृति प्रतीक्षित है। सीएम पैकेज के लिए पुराना एनआईटी रद्द कर दिया गया। नया एनआईटी किराए के आधार पर लेने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा तैयार किया गया। पूर्व एनआईटी बैठक 31.01.2013 को सम्पन्न हुई।
सीसीएल	22	उरीमरी (ईपीआर)	ओसी	2.00	143.57	21 जन-09	मार्च - 11	मार्च - 12	डी	विद्युत (कैप्टिव)	2.04	2.25	2.00	आवेदन 24.04.09 प्रस्तुत किया गया। एफआरए प्राप्त हुआ। नोडल अधिकारी ने एमओईएफ के प्रश्नों का अनुपालन पीसीसीएफ, झारखंड को मई, 112 को अग्रसरित कियागया। प्रस्ताव सचिव (वन), जीओजे का 25.07.12 को अग्रसरित किया। स्तर-I की मंजूरी शीघ्र मिलने की आशा है। ईसी- ईसी 16.02.2012 को प्राप्त हुई।
सीसीएल	23	कर्मा	ओसी	1.00	162.46	4 जून - 09	मार्च - 14	मार्च - 14	डी	बास्केट	0.38	0.46	0.60	एफसी- 3.16 हे. वन भूमि के लिए स्तर-I की मंजूरी तारीख 03.01.11 है। एफआरए प्राप्त हुआ। वन संबंधी मुआवजे का भुगतान 28.06.2011 और 06.07.11 को किया गया है तथा स्तर-I की मंजूरी की शर्तों का अनुपालन डीएफओ, रामगढ़ को 19.07-2011 को भेजा गया। अब यह स्तर-II की मंजूरी के लिए एमओईएफ को अग्रसरित किया जा रहा है।
सीसीएल	24	गोविन्दपुर फेस-II	ओसी	1.20	142.11	23 दिस.-09	मार्च - 13	मार्च - 13	ई	बास्केट	1.01	0.91	1.20	परियोजना निर्धारित समय के अनुसार चल रही है।
सीसीएल	25	अमरपाली	ओसी	12.00	858.11	13 फर.-12	मार्च - 19	मार्च - 19	एफ	भारत टीपीएस	0.00	0.00	0.00	पुनर्वासित किये जाने वाले प.प्र. व्यक्तियों की संख्या 451 है। मुआवजे का मूल्यांकन अधिनियम के अनुसार किया गया किंतु काश्तकारों ने मुआवजा स्वीकार करने से इंकार कर दिया। सीआईएल की संशोधित आरएण्डआर नीति के मद्देनजर नया प्रस्ताव पीएमएफ के साथ अंतिम रूप दिये जाने के बाद कंपनी के बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना है। खाली कराने की सुविधाओं का सृजन किया जाना है।
एनसीएल	26	निगाही विस्तार फेस-II (15 एमटीवाई)	ओसी	15.00	2105.89	29 मार्च-12	मार्च - 12	मार्च - 15	सी,डी,ई	विध्याचल पावर टीपीएस	12.02	10.88	14.00	सीएचपी और रेलवे साइडिंग के निर्माण में विलम्ब के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ।
एनसीएल	27	कृष्णशिला (आरपीआर)	ओसी	4.00	741.62	28 जून - 11	मार्च - 13	मार्च - 13	डी-ई	रेनुसा टीपीएस	3.57	4.00	4.00	स्तर-II की मंजूरी एमओईएफ से 12.06.06 को प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश का वन विभाग शेष भूमि नहीं सौंप रहा है तथा लीज डीड को कार्यान्वित करने की मांग

														कर रहा है, यद्यपि पेड़ काटने तथा परिवहन का कार्य मई, 2009 में पूरा हो गया था। एनसीएल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अपील की थी और निर्णय एनसीएल के पक्ष में दिया गया था। परियोजना की योजनाबद्ध प्रगति के लिए भूमि की तत्काल आवश्यकता है।
एनसीएल	28	अमलोहरी विस्तार	ओसी	10.00	1670.65	5 दिस.-09	मार्च - 16	मार्च - 16	डी-जी	रिहंद सुपर टीपीएस	5.37	6.58	8.00	परियोजना समयानुसार चल रही है।
एनसीएल	29	ब्लॉक-बी (आरपीआर)	ओसी	3.50	535.10	28 जून - 11	मार्च - 15	मार्च - 15	सी-एफ	सुरतगढ़ टीपीएस एवं बास्केट	3.81	4.01	4.00	परियोजना समयानुसार चल रही है।
एनसीएल	30	बीना विस्तार ओसी	ओसी	6.00	337.61	22 नव.-06	मार्च - 14	मार्च - 14	ई	विविध	6.00	6.00	6.00	मध्य प्रदेश राज्य में शेष 279 हे. भूमि पे गिराये गए पड़ों की कीमत वन विभाग को अदा की गई 100 हे. में पेड़ों को चिन्हित करना तथा गणना का कार्य वन विभाग द्वारा पूरा किया गया। पेड गिराने का कार्य 50 हे. भूमि में चल रहा है। भूमि की आवश्यकता 2013-14 में होगी। यू.पी राज्य में शेष 29 हे. भूमि की तत्काल (मार्च, 13 से पूर्व) आवश्यकतानुसार है। यू.पी राज्य वन विभाग लीज डीड न किये जाने के कारण भूमि नहीं सौंप रहा है। एनसीएल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अपील की थी और निर्णय एनसीएल के पक्ष में दिया गया था। परियोजना की योजनाबद्ध प्रगति के लिए भूमि की तत्काल आवश्यकता है।
एनसीएल	31	खदिआ विस्तार	ओसी	10.00	1131.28	28 जून - 11	मार्च - 18	मार्च - 18	सी-डी	अनपरा बी टीपीएस	4.39	4.65	4.50	एफसीः शेष 180 हे. वन भूमि स्तर-II की मंजूरी के लिए 14.09.2010 को जारी की गई। 38 हे. भूमि सौंपी गई थी। खान के अधिक प्रौन्नयन तथा विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए शेष 142 हे. वन भूमि भी उपलब्ध है।
डब्ल्यूसीएल	32	पेनगंगा	ओसी	3.00	339.77	23 अक्तू.-08	मार्च - 12	मार्च - 14	एफ	विविध	0.00	0.00	0.00	आरएण्डआर मुद्देः संबद्ध आरएण्डआर समस्या के कारण 743.73 हे. काश्तकारी भूमि का अधिग्रहण करने में विलम्ब हो गया। ईसी अंतिम ईआईए/ ईएमपी 21.07.2012 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.11.2012 की ईएसी बैठक से ईसी की सिफारिश की गई। पत्र प्रतीक्षारत है।
एसईसीएल	33	अमलाई विस्तार से.-बी	ओसी	1.50	198.59	10 नव.-09	मार्च - 16	मार्च - 16	सी	थर्मल पावर हाउस	0.69	0.58	0.69	एफसीः स्तर-I की मंजूरी के 166.92 हे. तथा स्तर-I की मंजूरी के लिए 32.45 हे. एमओईएफ में लंबित है। खान के धापुरी-अमलाई समह के अंतर्गत ईसी प्राप्त हुई।

एसईसीएल	34	मानिकपुर विस्तार	ओसी	3.50	321.50	11 नव.-09	मार्च - 14	मार्च - 14	एफ	थर्मल पावर	2.87	2.56	2.00	स्तर-II की स्वीकृति के लिए 181.18 हे. वन भूमि राज्य स्तर पर लंबित हैं-सीए और पीसीए की राशि के अंतर का आवश्यक भुगतान कर दिया गया है। ईसी-3.5 मि.ट. प्रत्येक वर्ष के लिए ईएसी की बैठक प्रतीक्षित है।
एसईसीएल	35	बरौद विस्तार (राय वेस्ट)	ओसी	3.00	135.58	5 जुलाई, 08	मार्च,15	मार्च,15	एफ	विद्युत संयंत्र/विविध	1.44	3.34	1.00	एफसी - एफआरए के अंतर्गत एनओसी के लिए राज्य स्तर पर स्तर-I की मंजूरी हेतु 236 हे.वन भूमि लंबित है।
एसईसीएल	36	कुसमुण्डा विस्तार-II	ओसी	15.00	1188.31	13 जुन,08	मार्च,13	मार्च,13	एफ	विद्युत संयंत्र	14.56	15.00	15.00	कुसमुंडा क्षेत्र की 324.84 हे. तथा 724.424 हे. वन भूमि को नियमित करने के संबंध में कलेक्टर कोरबा द्वारा एफआरए के अंतर्गत एनओसी 8.11.11 को जारी किया गया। एक गांव का ग्राम सभा संकल्प लंबित है। (10-15 एमटीवाई) विस्तार के अनुसार 40.544 हे. की शेष वन भूमि के संबंध में। कुसमुंडा ओसीपी की पीआर कलेक्टर ने एफआरए के अंतर्गत एनओसी 8.11.11 को जारी किया, जो सीसीएफ (एलराम) सीजी को 17.11.11 को प्रेषित किया गया। गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग के लिए एनओसी कलेक्टर, कोरबा के पास लंबित है।
एसईसीएल	37	गेवरा विस्तार (35 एमटीवाई)	ओ सी	35.00	2675.67	17 जुन,10	मार्च,14	मार्च,14	ई/एफ	विद्युत संयंत्र/विविध	35.00	35.00	35.00	एफआरए के अंतर्गत एनओसी के लिए स्तर-I की मंजूरी के लिए 126.34 हे. वन भूमि राज्य स्तर पर लंबित है तथा काश्तकारों की आरएण्डआर योजना 46.20 हे. और 192.05 हे. वन भूमि के दो प्रस्ताव एमओईएफ स्तर-II पर मंजूरी के लिए लंबित है तथा सीए और पीसीए का नई दरों पर अंतर के भुगतान के लिए 564.86 हे. का एक प्रस्ताव लंबित है।
एसईसीएल	38	बतुरा ओसी	ओ सी	2.00	203.82	9 सित. 08	मार्च,15	मार्च,15	सी	विविध	0.00	0.00	0.00	एफसी - राज्य स्तर पर चरण-I की मंजूरी के लिए 76.84 हे. वन भूमि लंबित है। ईसी - नई पीआर को अंतिम रूप दिये जाने के बाद नया आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।
एसईसीएल	39	जगन्नाथपुर (महान-III & IV)	ओ सी	3.00	152.43	9 सित. 08	मार्च,15	मार्च,15	ई	विविध	0.00	0.00	0.00	एफसी- 126.431 हे. अपेक्षित थी। एफ आर अधिनियम के अंतर्गत एनओसी के लिए लंबित है। ईसी - वन भूमि के आवदेन रजिस्ट्रेशन के बाद फाम-1 प्रस्तुत किया जाना है।

एसईसीएल	40	चुर्चा आरई-ओआरजी	यूजी	1.35	462.35	13 जुन, 08	मार्च,14	मार्च,14	बी/सी(एल एफ)	विद्युत संयंत्र	1.33	1.24	1.40	एफसी - 238.21 हे. वन भूमि एफआरए के अंतर्गत राज्य स्तर पर चरण-1 की मंजूरी के लिए एनओसी हेतु लंबित है, सीए की राशि का अंतर जमा कराने के बाद 2600.30 है. वन भूमि एफआरए के अंतर्गत राज्यस्तर पर चरण-2 मंजूरी के लिए एनओसी के कारण लंबित है। ईसी- 03.5.2012 को 2.10 एमटीवाई पीक क्षमता के लिए अनुमोदन।
एसईसीएल	41	पेलमा	ओ सी	10.00	448.32	30 जुलाई, 08	मार्च,15	मार्च,15	एफ	विद्युत संयंत्र	0.00	0.00	0.00	परियोजना को संशोधित किया जाना है 15 एमटीवाई का विस्तार अनुमोदन की प्रक्रिया में है। एफसी - कुल 322.86 हे. वन भूमि अपेक्षित थी आवेदन के लिए भूमि का रिकार्ड एकत्रित किया जा रहा है। ईसी- नए टीओआर की बैठक 23.05.11 को सम्पन्न हुई। ईएसी से एसईसीएल के पास लंबित पड़ी खनन योजना में आवश्यक संशोधन के बाद आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
एसईसीएल	42	दीपका विस्तार. (20-25 एमटीवाई)	ओ सी	25.00	1943.66	22 दिस. 09	मार्च,14	मार्च,14	ई	विद्युत संयंत्र/विविध	25.00	25.00	25.00	148.87 हे. वन भूमि का मामला एफआरए के लिए स्तर-II की मंजूरी हेतु राज्य स्तर पर लंबित है। 33.84 हे. वन भूमि एफआरए कं अंतर्गत राज्य स्तर पर चरण-II की मंजूरी के लिए एनओसी के कारण लंबित है तथा सीए एवं पीसीए के मूल्य में क्षेत्र में संशोधन के लिए एमओईएफ चरण-II स्तर पर लंबित है।
एसईसीएल	43	करताली ईस्ट	ओ सी	2.50	178.44	30 जुलाई, 08	मार्च,14	मार्च,14	सी/ई	विविध	0.00	0.00	0.00	722.22 हे. भूमि सीबीए अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत 23.02.11 को अधिसूचित की गई। धारा 11(i) के अंतर्गत अधिसूचना 24.09.11 को जारी की गई। विवरण V और VI तैयार करने के लिए भूमि रिकार्डों को एकत्र किया जा रहा है। एफसी- एफआरए, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा का संकल्प और कलेक्टर के एनओसी के लिए लंबित है। प्रस्ताव तैयार करने के लिए वृक्षों की गणना की जानी है। ईसी- अंतिम ईएमपी प्रथम स्तर की वन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत की जाएगी जिसके बिना एमओईएफ द्वारा ईसी मंजूरी नहीं की जाएगी।

एमसीएल	44	भुवनेश्वरी ओसीपी	ओ सी	20.00	490.10	22 दिस.07	मार्च,17	मार्च,17	डी-जी	बास्केट	3.27	7.11	10.00	112.52 हे. के लिए स्तर-II की स्वीकृति 16.12.04 को प्राप्त हुई थी। (प्रथमतः 25 वर्ष)। 86.866 हे. में वृक्षों की गणना पूरी की गई थी। 12 हे. में पेड़ गिराने का कार्य पूरा हुआ। 68.91 हे. का कब्जा लिया गया। शेष कब्जा समयानुसार लिया जाना है।
एमसीएल	45	कन्हैया ओसीपी	ओ सी	10.00	457.77	22 दिस. 07	मार्च,13	मार्च,13	डी-जी	बास्केट	0.02	0.34	2.00	एफसी- खनन क्षेत्र की 167.7 हे. का सीमा-निर्धारण तथा खंभे लगाने का कार्य पूरा किया गया। वन विभाग तथा उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा सीए की पहचान करने तथा खम्भे लगाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। पेड़ों की गणना पूरी कर ली गई है। 4 ग्रामों में ग्राम सभा की बैठकें बुलाई गई थीं। 3 ग्रामों में हस्ताक्षरों के साथ ग्राम सभा का संकल्प पूरा कियागया। जरादा के ग्राम निवासियों ने इस सहमति पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। ग्राम सभा के संकल्प प्रस्तुत किये जाने के बाद कलेक्टर द्वारा एनओसी जारी किया जाएगा। स्थल का परीक्षण डीएफओ द्वारा किया जाएगा। वन्य जीव संबंधी स्कीम/ संरक्षण योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता को कार्य आदेश जारी किया जा चुका है। ओआरएसएसी द्वारा प्रेषित डीजीपीएस नक्शा तैयार करने के सर्वेक्षण के लिए अनुमान अनुमोदित हो चुका है। सर्वेक्षण के लिए सीमा-निर्धारण एवं खंभे लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एनटीपीसी द्वारा एमजीआर निर्माणाधीन है, जिससे कोयला निष्कर्षण प्रभावित हो रहा है और उत्पादन सीमित हो गया है।
एमसीएल	46	गोपाल प्रसाद	ओ सी	15.00	395.87	9 फर. 08	मार्च,15	मार्च,15	डी-जी	बास्केट	0.00	0.00	0.00	एफसी- 85.66 हे. का आवेदन 17.12.2009 को स्तर-I के लिए दिया गया। राज्य एस-I संख्या352/09) नक्शों के लिए आरसीसीएफ रूरकेला एनओसी तथा डीजीपीएस के पास लंबित हैं। सभी वन ग्रामों (अंगुल उप प्रभाग में 7 तथा तलचर उप प्रभाग में 3) ग्राम सभा पूर्ण की गईं। हस्ताक्षरों सहित संकल्प उप कलेक्टर, अंगुल तथा तलचर, दोनों को प्रेषित कर दिया गया तथा इसे आवश्यक मंजूरी के लिए डीएलसी अंगुल तथा कलेक्टर द्वारा बाद में जारी किये जाने के लिए अग्रसरित कर दिया गया। डीजीपीएस सर्वेक्षण अभी पूरा किया जाना है क्योंकि ग्रामीणों द्वारा इस में बाधा उत्पन्न की जा रही है। ईसी- इस पर आगे विचार किये जाने के लिए ईएपी की बैठक 19.01.13 को हुई। वन भूमि की मंजूरी के बाद अनुमति दी जायेगी।

एमसीएल	47	बालाराम विस्तार	ओ सी	8.00	172.08	22 दिस. 07	मार्च,10	मार्च,12	एफ/जी	बास्केट	4.55	5.56	6.00	एफसी- 3.72 हे. का आवेदन सीसीएफ (एन) को दिसम्बर, 08 में भेज दिया गया है खनन योजना 28.08.09 को अनुमोदित की गई। एसटी/ ओएफडी अधिनियम, 2006 के अधीन एनओसी जारी किये जाने के लिए आवेदन कलेक्टर, अंगुल को भेजा गया। वर्तमान में, इस प्रस्ताव को हटाने का निर्णय ले लिया गया है और इसे 15 एमटीवाई विस्तार परियोजना डायवर्जन के साथ क्लब किया जाएगा जिसका अनुमोदन (स्तर-I का अनुमोदन) सिद्धांत रूप में कर दिया गया है। ईसी- एमओईएफ के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित फार्म-I विस्तार परियोजना (20 एमटीवाई) के लिए 25.07.12 को भेजा गया। ईएसी की बैठक प्रतीक्षित है।
एमसीएल	48	अनंता विस्तार फेज-III (15 मि.ट. प्रतिवर्ा)	ओ सी	3.00	207.28	31 अग. 08	मार्च,12	मार्च,12	ई/एफ/ जी	बास्केट	0.00	2.00	0.00	224.73 हे. की स्तर-I की वानिकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव सीसीएफ (नोडल) को 19.04.10 को भेजा गया। खनन क्षेत्र के सीमांकन तथा खंभे लगाने का कार्य पूरा किया। सीए स्थल की पहचान की गई तथा स्कीम तैयार की गई। जिन्हें डीएफओ, अंगुल को भेजा जाएगा। पेड़ों की गणना पूरी की गई, ग्राम सभा संकल्प प्रगति पर है। 10 ग्रामों में से 9 ग्रामों के हस्ताक्षर कराने का कार्य पूरा कर लिया गया। शेष 1 ग्राम में कार्य चल रहा है और संकल्प सितम्बर, 12 के अंत तक भेजे जाने की संभावना है। वन्य जीव प्रबंध योजना डीएफओ को 12.06.2012 अधिप्रमाणित किये गए तथा इन्हें डीएफओ द्वारा अधिप्रमाणन के लिए डीएफओ अंगुल को 12.06.12 को भेज दिया गया। ईसी- ईएसी की बैठक 17.12.12 को हुई। कार्यवृत्त 17.01.13 को अपलोडिड किया गया। ईएसी द्वारा ईसी को सिफारिश की गई, बशर्ते कि एफसी विस्तार क्षेत्र में वन भूमि की चरण-I की मंजूरी प्रदान की जाए।
एमसीएल	49	हिंगुला विस्तार फेज.-III	ओसी	7.00	479.53	30 नव. 08	मार्च,13	मार्च,13	ई/एफ/ जी	बास्केट	0.78	0.00	0.00	एफसी- आवेदन 03.02.11 को भेजा गया। 435.15 हे. वन भूमि एफआरए तथा डीजीपीएस नक्शे के अंतर्गत राज्य स्तर पर चरण-I की मंजूरी के लिए एनओसी के कारण लंबित है। ग्राम सभा संकल्प का कार्य 10 ग्रामों में पूरा हो गया है। एसडीएलसी द्वारा संकल्प 05.10.12 को जारी किया गया और डीएलसी को भेजा गया। वन्य जीव स्कीम/ संरक्षण योजना तैयार करने की प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के लिए चल रही है। ओआरएसएसी द्वारा

														डीजीपीएस योजना डीएफओ, अंगुल को 03.07.12 को भेज दिया गया।
														ईसी- ईएसी की बैठक 17.12.12 को सम्पन्न हुई। कार्यवृत्त को 17.01.13 को अपलोड हो गया। ईएसी द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी गयी।
एमसीएल	50	तालाबीरा	ओ सी	20.00	447.72	29 मार्च, 08	मार्च,16	मार्च,16	ए-जी	बास्केट	0.00	0.00	0.00	**एफसी** - 1038.187 हे. भूमि को चरण-I की वन मंजूरी का प्रस्ताव 26.05.10 को सीसीएफ (एन) को 26.05.10 को पुनः भेजा गया। कार्य मै. सीईएमसी को 04.11.2010 को सौंपा गया। डीएफओ, सम्बलपुर (एन) द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार, 1038.136 हे. के लिए पुनः सुधार करके नया वन प्रस्ताव 15.11.11 को प्रस्तुत किया गया। सभी 15 ग्रामों, में ग्राम सभा सकंल्प हस्ताक्षरों के साथ पूरा किया गया। झरसुगुड़ा जिले के 4 ग्रामों के लिए एनओसी 22.09.12 को जारी किया गया। सम्बलपुर जिले के एक गांव के लिए एनओसी 07.11.12 को जारी किया गया। सीए क्षेत्र की पहचान की गई। डीजीपीएस क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा किया गया। नक्शा ओआरएसएसी को 12.10.12 को भेजा गया। डीएफओ द्वारा स्थल का निरीक्षण प्रतीक्षित है। ईसी- अंतिम ईआईए/ ईएमपी प्रस्तुत किया गया। निदेशक एमओईएफ ने अपने पत्र सं. 11075/215/2007-आईए-II (एम) दिनांक 28.06.11 के माध्यम से यह सूचित किया था कि परियोजना क्षेत्र "नो-गो क्षेत्र" के अंतर्गत पड़ता है और चार दीवारी का संशोधन मांगा है। संशोधित खनन योजना कोयला मंत्रालय को 11.10.11 को भेजी गई है। जीओएम के "गो-नो-गो" की संकल्पना को समाप्त करने के निर्णय वाले पत्र दिनांक 20.09.11 के बाद एक प्रार्थना पत्र ईएसी की बैठक के लिए भेजा गया है। ईएसी (टीएण्डसी) में 16.07.12 को बैठक हुई, निदेशक, एमओईएफ ने यह स्पष्ट किया कि हालांकि गो-नो-गो की संकल्पना समाप्त हर दी गई है किंतु "इन-वायोलेट" क्षेत्र की नई संकल्पना लागू कर दी गई है। ईएसी (टीएण्डसी) द्वारा इस पर आगे विचार करने के लिए 09.01.13 को बैठक हुई। कार्यवृत्त प्रतीक्षित है।
एमसीएल	51	भारत पुर फेज-III	ओ सी	9.00	131.39	12 फर. 07	मार्च,10	मार्च,12	ई/एफ	सीपीपी/बास्केट	2.34	3.83	3.00	वन भूमिः वन डायवर्जन प्रस्ताव 134.95 हे. भूमि के लिए 2004 में प्रस्तुत किया गया तथा इसे पीसीसीएफ, उड़ीसा सरकार को अंतिम रूप से अक्तूबर, 2009 में पुनः भेजा गया। कलेक्टर ने एनओसी 15.11.11 को जारी किया। सीसीएफ (एन),

														बीबीएलआर ने 27.06.12 को एफआरए के अंतर्गत गैर-आच्छादित क्षेत्र अर्थात् 18 हे.- सुरक्षा जोन के लिए कलेक्टर, अंगुल से एनओसी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया और ऐसा ही अनुरोध कलेक्टर, अंगुल को 03.07.12 को किया गया है। सलाहकार (ईएण्डएफ), सीआईएल तथा पीसीसीएफ, भुवनेश्वर के बीच 21.08.12 को हुई एक बैठक में यह पहले से अनुमोदित वन क्षेत्र के भीतर इसको समायोजित करने का निर्णय लिया गया। 1.18 हे. सुरक्षा जोन सहित संशोधित प्रस्ताव सीसीएफ(नोडल) को 28.08.12 को भेजा गया तथा इसे एफएण्डई, विभाग, उड़ीसा सरकार को डीएफओ, अंगुल द्वारा 17.8.12 को प्रेषित किया गया। एमओईएफ को 16.10.12 को प्रस्तुत किया गया। सीसीएफ, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, बीबीएसआर की निरीक्षण रिपोर्ट के लिए लंबित है। निरीक्षण की निर्धारित तारीख 08.01.13 थी। एमसी तथा आरएण्डआर समस्याओं के कारण विलंबित हो जाने की संभावना है।
एमसीएल	52	कुलदा	ओ सी	10.00	302.96	12 जन. 05	मार्च,12	मार्च,12	ई एडं एफ	बास्केट	5.02	5.54	5.00	227.89 हे. के कुल क्षेत्र के लिए स्तर-I की वन मंजूरी परियोजना की 20 वर्षों की अवधि के लिए 22.01.02 को प्राप्त हुई थी। स्तर-II की वन मंजूरी 08.08.07 को प्राप्त हो गई है। ओएफडीसी द्वारा पेड़ (प्रथम चरण-967 पेड़ों के लिए) गिराने का कार्य पूरा कियागया। रायल्टी तथा पेड़ गिराने की कीमत संबंधित राज्ज्य सरकार के विभाग को अदा कर दी गई है। आज की तारीख तक 64 हे. वन भूमि का कब्जा वास्तविक रूप से ले लिया गया है। दूसरे चरण में भूमि सौंपने के लिए पेड़ों की गणना का कार्य चल रहा है।

अनुबंध (अध्याय-4 के बिन्दु सं0 4.4.9 में उल्लिखित)

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) में 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक की लागत वाली पूर्ण हुई/ चल रही परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	स्वीकृत लागत और आरसीई I तथा II	स्वीकृति का माह और वर्ष	# कोल लिंकेज का ग्रेड	12 मार्च, तक व्यय	ब.अ. 2012-13	वास्तविक अप्रैल-दिसम्बर,12	सं.अ. 2012-13	ब.अ. 2013-14	31.12.2011 के अनुसार परियोजना की स्थिति
हाल ही में चालू की गईं परियोजनाएं											
1	खान II विस्तार	4.5 एमटीपीए	2161.28 2295.93 2125.83	अक्तू, 2004 जुलाई, 08 अप्रैल, 12	लिग्नाइट: टीपीएस II विस्तार	1925.70	45.00	24.40	47.31	55.01	परियोजना 12.3.10 से आरंभ हो गई है।(सी.ओ.डी.)। अंतिम भुगतान और कुछ जीडब्ल्यूसी एवं एसडब्ल्यूसी मदों की खरीद के लिए निधि की आवश्यकता है।
2	राजस्थान में खान	2.1 एमटीपीए	254.07 254.60 218.05	दिस, 04 अगस्त, 09 मार्च, 12	लिग्नाइट: राजस्थान में टीपीएस-II	207	11.40	0.85	5.69	5.36	लिग्नाइट उत्पादन 2009 में शुरू हुआ तथा 31.01.10 को पूर्ण क्षमता का स्तर प्राप्त किया। इस वर्ष लिग्नाइट के उत्पादन में तेजी आयी है क्योंकि संबद्ध प्लांट बीपीटीपीएस-II चालू हो गया है।
3	राजस्थान में टीपीएस	2 x 125 मे.वा.	1114.18 1629.09 1868.71	दिस, 04 अगस्त, 09 मार्च, 12	विद्युत: खान II विस्तार	1749.91	65.00	8.65	65.00	53.80	दोनों यूनिटें चालू हो गई हैं। यूनिट-II 29.12.11 को तथा यूनिट-I 20.01.12 को मुख्य पैकेज 220 केवी खईच यार्ड तथा आरसीसी चिमानी और कूलिंग टावर के लिए
कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं											
4	टीटीएस-II विस्तार	2 x 250 मे.वा.	2030.78 2453.57 3027.59	अक्त, 04 जुलाई, 08 अप्रैल, 12	विद्युत: खान-II विस्तार	2394.54	185.00	141.65	245.06	305.79	भेल, मुख्य संयंत्र का प्रमुख ठेकेदार, द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं करने के कारण परियोजना में विलंब हो गया है। टीपीएस II विस्तार की यूनिट - I और II के क्रमशः जून, 2012 और मार्च, 2013 से आरंभ हो जाने का अनुमान है। मुख्य पैकेज के शेष भुगतान तथा आईडीसी के लिए

											धन मांगा गया है।
5	तुती-कोरिन में एनटीपीएल-टीपीएस	2 x 500 मे.वा.	4909.54 6540.93	12.5.2008 आरसीई अभी अनुमोदित होनी है।	विद्युत: (कोयला आधारिते)	2768.27	950.00	941.34	1,200.00	900.00	मुख्य संयंत्र पैकेज, कोयला रखरखाव सिस्टम पैकेज, सीडब्ल्यूएस पैकेज, डीएम प्लांट, चिमनी, कोयला रखरखाव प्रणाली आदि के कार्य प्रगति पर हैं। दिस, 2012 की स्थिति के अनुसार वास्तविक प्रगति 66.87% यूनिटों के आरंभ होने की अनुमानित तारीख दिस, 2013 और मार्च, 2014 है ।
6	एनएनटीपी(नेयवेली न्यू टीपीएस)	2 x 500 मे.वा.	5907.11	09.6.2011	विद्युत : खान-। एवं विस्तार और खान-1ए	14.47	250.00	10.59	41.39	415.00	स्वीकृति के अनुसार, शुरू होने की निर्धारित तारीख जून, 2015 औ दिसम्बर, 2015 है। चूंकि एसजी पैकेज के लिए निविदा पुनः जारी की गई थी, अतः प्रारम्भ होने की तारीखें अनुमानतः फरवरी, 2017 और अगस्त, 2017 तक के लिए स्थगति कर दी गई हैं। सिविल निर्माण कार्यों, सड़कों के डायवर्जन तथा अवार्ड किये जाने वाले ठेकों के अग्रिम भुगतान के लिए धन की आवश्यकता है।

एनएलसी को विकास योजना के भाग के रूप में वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसी गैर-पारम्परिक ऊर्जा को अपनाने का प्रस्ताव है। सौर ऊर्जा-10 मेगावाट कार्यान्वित करने के लिए 133.19 करोड़ रूपये तथा वायु ऊर्जा के लिए 364.75 करोड़ रूपये के निवेश की योजना बनाई गई है। पर्याप्त निधि (संशोधित अनुमान 2012-13 तथा बजट अनुमान 2013-14 में 142.23 करोड़ रूपये तथा 200 करोड़ रूपये) यू.पी. कोयला आधारित विद्युत परियोजना (नेयवेली उत्तर प्रदेश विद्युत परियोजना के लिए आबंटित की गई क्योंकि परियोजना को पीआईबी अनुमोदन की शीघ्र संभावना है।

- - - -

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. में 150 करोड़ रू. और उससे अधिक लागत वाली चल रही परियोजनाओं के 31.12.2011 के अनुसार ब्यौरे

अनुबंध (अध्याय - IV बिन्दु सं. 4.4.9 में उल्लिखित)

क्र.सं.	परियोजना/ कम्पनी का नाम और परियोजना का स्थान	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	कुल पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रू. में)	निबल स्वीकृत लागत(करोड़ रू. में)	स्वीकृति की तारीख, पूर्णता का कार्यक्रम, पूर्ण होने का अनुमान	कोयला लिंकेज का ग्रेड	वास्तविक उत्पादन 2011-12 (मि.ट.)	एफआर 2012-13 के अनुसार लक्ष्य (मि.ट.)	ब.अ./सं.अ 2012-13 (मि.ट.)	दिसम्बर,12 तक वास्तविक (2012-13) (उत्पादन) (मि.ट.)	ब.अ. 2012-13 (करोड़ रू. में)	दिसम्बर, 2012 तक व्यय (करोड़ रू. में) (अनंतिम)	स्थिति
1.	आद्रियाला शाफ्ट, परियोजना, आरसीई, यूजी	2.81	846.06	779.26	24.12.09 सित. 2012 जुलाई 2014	सी,डी,ई, बास्केट लिंकेज	0.143	1.940	0.3130	0.132	700	424.32	परियोजना में जुलाई 2014 तक विलम्ब हो जाने की संभावना है। रिटर्न एयर शाफ्ट की सिंकिंग की प्रगति 482 मीटर में से 477.6 मीटर है।
2.	शांतिखानी लांगवाल परियोजना, यूजी	1.167	303.89	249.03	09.10.06 2011-12 आर एफ आर	डी, एफ बास्केट लिंकेज	--	1.316	0.120	0.045	2.5	49.64	भूगर्भीय हलचल के मद्देनजर संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट (आरएफआर) तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। एयर सोफ्ट सिंकिंग की प्रगति 390 मीटर में से 296 मीटर है।
3.	जल्लाराम शाफ्ट यूजी परियोजना,	2.285	512.87	467.78	14.09.07 2012-13 आर एफ आर	बी,डी,ई बास्केट लिंकेज	--	1.580	--	--	--	2.85	भूगर्भीय हलचल के मद्देनजर संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट (आरएफआर) तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।
4.	काकातिया लांगवाल यूजी परियोजना,	2.747	520.03	453.63	15.12.08 2012-13 2015-16	बी,ई, एफ बास्केट लिंकेज	--	1.320	0.320	0.053	2.18	80.86	मेसर्स इन्दु प्रोजेक्ट् (एल-1) को टीपीओ के रूप में 4.6.2011 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया। टीपीओ को प्रभावी/शून्य तारीख (अर्थात् 17.12.11) 16 महीने के भीतर उपकरण लगाने हैं।
5	आरजी ओसी-II विस्तार	4.00	896.32	418.97	30.12.09 2011-12 2014-15	डी,ई, एफ लागत जमा	2.301	4.00	2.8	0.537	57.76	122.89	वन भूमि डायवर्जन में विलम्ब के कारण परियोजनायें मार्च, 2015 तक विलम्ब हो जाने

	परियोजना					लिंकेज							की संभावना है।
6	आरकेपी ओसीपी फेस-I	1.60	129.31	209.78	29.03.10 2014.-15 2014.-15	डी,ई बास्केट लिंकेज	--	1.60	--	--	3.05	29.445	परियोजना समय पर है।
7	मनूगुरू ओसी-II विस्तार (फेस-II)	3.00	480.67	181.19	29.03.10 2011-12 2014-15	सीडीई एवं एफ बास्केट लिंकेज	3.671	3.00	3.00	2.635	17.24	39.34	वन भूमि डायवर्जन में विलम्ब के कारण परियोजना में अप्रैल, 2014 तक विलम्ब हो जाने की संभावना है।
8	किस्ताराम ओसीपी	2.00	143.90	242.90	01.11.10 2014 -15 2014 -15	डी एंड एफ बास्केट लिंकेज	--	--	--	--	--	--	परियोजना समय पर है।
9	इन्दाराम ओसीपी की आरसीई	1.20	142.29	162.76	04.07.11 2014-15 2014-15	सी, डी, ई	--	--	--	--	-	2.481	परियोजना समय पर है।
10	जेवीआर ओसी-II	4.00	1053.60	447.06	04.07.11	एफ	--	--	--	--	--	--	परियोजना समय पर है।
11	आरजी ओसी-III विस्तार (फेस-II)	2.00	627.41	365.01	29.06.12 2014-15 2014-15	डी, ई	--	--	--	--	--	--	परियोजना कार्यान्वयन के प्रारम्भिक चरण में है।
12.	केके ओसीपी	1.75	493.18	417.33	24.07.12 2015-16 2015-16	ई बास्केट लिंकेज	--	--	--	--	--	--	परियोजना कार्यान्वयन के प्रारम्भिक चरण में है।
13.	मनूगुरू ओसीपी आरएफआर	1.50	456.50	50.46	10.11.12 2015-16 2015-16	सी.डी.ई,	--	--	--	--	6.76	47.44	लागत तथा उपभोक्ता की पहचान की गई है। परियोजना समय पर है।

****